अनुदान संख्या 97 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF TOURISM

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2189,21,00	2189,23,00	1399,20,76	-790,02,24
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				773,21,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1,00	--	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	197212.00	140727.00	139075.74	-1651.26
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-56487.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	20789.00	..	..	..
पु.	R.	-20789.00			

(I) ₹22392.75 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.75 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹21500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "3452" – "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – राजस्व सृजन पर्यटन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर योजना" – ₹1000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सामान्य (पर्यटन) – संवर्धन और प्रचार – आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" – ₹1500.00 लाख; और

(ख) "पर्यटन अवसंरचना – पर्यटक आवास – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹19000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर प्रयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3452" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं–

(का) "पर्यटक अवसंरचना" –

(क) "पर्यटक केंद्र" –

(i) "पर्यटक अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता" – ₹1905.71 लाख की बचत (₹9100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में

(I) Provision of ₹22392.75 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.75 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹21500.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Viability Gap Scheme for Revenue Generating Tourism Projects" - ₹1000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2552" -

(a) "General (Tourism) - Promotion and Publicity - Domestic Promotion and Publicity including Hospitality" - ₹1500.00 lakhs; and

(b) "Tourist Infrastructure - Tourism Accommodation - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits" - ₹19000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on project/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) Under Major Head "3452" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tourist Infrastructure" -

(a) "Tourist Centres" -

(i) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - saving of ₹1905.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs) was due to reduction of

कटौती किए जाने और जेसीपी अटारी पंजाब में अवसंरचना विकास के लिए बीएसएफ द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ii) "स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹31507.10 लाख की बचत (₹82600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(iii) "अध्यात्मिक विरासत वृद्धि ड्राइव (प्रसाद)" – ₹1579.32 लाख की बचत (₹16050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹3500.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित प्रावधान पर कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – विदेश में पर्यटन कार्यालय" – ₹733.44 लाख की बचत (₹3352.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए और मितव्ययिता के उपाय से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण" –

(प) "सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण" – ₹524.84 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3800.25 लाख के

provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less utilization of funds by BSF for infrastructure development at JCP Attari, Punjab.

(ii) "Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits" - saving of ₹31507.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82600.00 lakhs);

(iii) "Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASAD)" - saving of ₹1579.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16050.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan- Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "General" -

(a) "Direction and Administration - Tourist Offices Abroad" - saving of ₹733.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3352.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards rent and austerity measures.

(b) "Training" -

(i) "Capacity Building for Service Provider" - saving of ₹524.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3800.25 lakhs including token

कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुआ।

supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in November, 2019) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" – ₹2442.50 लाख की बचत (₹7700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ii) "Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - saving of ₹2442.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of less proposals.

(ग) "संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय" – ₹14858.53 लाख की बचत (₹55750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार और संवर्धन कार्यक्रमों को कम किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - saving of ₹14858.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55750.00 lakhs) was due to less publicity and promotional programmes undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3452" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – पर्यटन महानिदेशालय" के अंतर्गत ₹911.86 लाख का अधिक व्यय (₹4740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चन्द्रलोक भवन के नवीनीकरण संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, जनपथ में नए भवन को किराए पर दिए जाने, ट्विटर आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, एकल खिड़की समाधान जैसी नई सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की पहल की शुरुआत के कारण अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3452" - "General-Direction & Administration - Directorate General of Tourism" - excess of ₹911.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4740.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards refurbishment of Chanderlok Building, rent for new building at Janpath and launching of new information technology centre initiative like twitter-based grievance redressal system, one stop solutions.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutlised under one head and was eventually surrendered.